

WESTERN RAILWAY

P.S.No.46/2011

Headquarter Office,
Churchgate, Mumbai-20

No. EP (R&T) 901/U Vol.II

Date: 05.05.2011

To,

All DRMs / CWMs & Units Incharge,

C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT,

C/- GS-All India SC/ST Rly Employees. Assn, 'W' Zone, Mumbai

C/- GS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub: Upper age limit for direct recruitment to Group 'C' & 'D' posts on
the Railways.

=====

A copy of Railway Board's letter No. E(NG) II/94/RR-1/29 dated
18.02.2011 [RBE No.24/2011] is sent herewith for information, guidance and
necessary action.

Railway Board's letter mentioned therein are circulated as under

Sr.No.	Railway Board's letter No. and date and R.B.E. No.	Circulated under this office letter No. and date and P.S. No.
1.	E(NG) II/94/RR-1/29 dated 18.02.2011 [RBE No.24/2011]	E(R&T)901/U/ Vol.II P.S.No.30/2010 dt.23.2.2011

Encl: As above.



(S. Kademani)
For General Manager(E)

Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड Railway Board

RBE No. 24/2011.

NO. E (NG)/25/RR-1/25.

New Delhi, dated: 09.02.2011.

The General Manager (F),
All Zonal Railways/Production Units, COBE/Allahabad,
MTP/Kolkata, Chennai, Mumbai,
CAO (R), DMW/Patna, COFMOW/New Delhi,
Director General, RDSO/Lucknow, RSL/Vadodra,
Director, IRIS/Secunderabad, IRCON/Pune, IRIEEN/Nasik &
IRIM&EE/Jamalpur, Managing Dir./Konkan Railway Corporation Ltd,
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited and
Chairmen/Railway Recruitment Boards.

Sub: Upper age limit for direct recruitment to Group 'C' & 'D' posts
on the Railways.

Ref: Board's letter of even number dated 03.2.2010 (RBE No.
25/2010).

Attention is invited to this Ministry's letter under reference vide which
the currency of the relaxation contained in letter of even number dated
10.5.1999 (RBE No. 99/99) was extended for a period of one year i.e. up to
3.2.2011.

The matter has been reviewed and it has now been decided that this
relaxation of 03 (three) years above the prescribed upper age limit for
recruitment to all Group 'C' & 'D' posts including engagement of substitutes
may be extended further for a period of one year i.e. up to 03.02.2012.
These orders take effect from 4.2.2011. Instances placed after 4.2.2011 may be
suitably amended.

Please acknowledge receipt.

³¹
~~CB~~
(Harsha Dass)
Joint Director Estt. (F)-II
Railway Board.

रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड Railway Board

आर बी ई सं. 24 / 2011

सं. ई (एन.जी.) 1/94/आरआर.1/29

नई दिल्ली, दिनांक 18.02.2011.

महाप्रबंधक (कार्मिक)

सभी क्षेत्रीय रेल/उत्पादन इकाइयों

कोर/इलाहाबाद, न.प.प/कोलकाता, मुंबई, चेन्नै,

पु.प्र.अ. (आर), डीआका/पटियाला, कोकनो/नई दिल्ली

महानिदेशक, अ.अ.मा.रा./सखनंद, रेलवे स्टाफ कॉलेज/पडोपरा

महानिदेशक, बोरमल/मिर्जापुराबाद, इरिसेन/कुर्ने

इरिसेन/नासिक, इरिमि/जमालपुर एवं अध्यक्ष/रेल भक्तो बोर्ड

कॉकम रेल कार्पोरेशन/नवी मुंबई एवं डी एफ सी सी आई एल/नई दिल्ली ।

विषय: रेलों पर समूह ग और समूह घ पर सौधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा.

संदर्भ: बोर्ड का 03.02.2010 का समसंख्यक पत्र (आरबीई संख्या 26/2010)

इत मंत्रालय के संदर्भाधीन पत्र की और ध्यान दिलाया जाता है जिसके तहत 10.05.99 के समसंख्यक पत्र आर. बी. ई. संख्या 99/99 में जर्नालिस्ट सूट की अवधि को आम एक वर्ष और नवंबर अर्थात् 03.02.2011 तक बढ़ाया गया था।

इस मामले की पुनरीक्षा की गई है और अब यह विनिश्चय किया गया है कि एजिनियों की नियुक्ति सहित सभी समूह ग एवं समूह घ पर भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 (तीन) वर्ष की इस सूट को आम एक वर्ष की अवधि अर्थात् 03.02.2012 तक बढ़ा दिया जाए। यह आदेश 4.02.2011 से प्रभावी होगा। दिनांक 03.02.2011 के पश्चात् जारी आर आर मॉम एचों की भी समुचित रूप से संशोधित कर लिया जाए।

दृष्टिगत आपकी है।

2011

(हरी दास)

संयुक्त निदेश, स्वा. (आराज.)।।

रेलवे बोर्ड

...2/-

पी.एस.सं.४६/२०११

प्रधान कार्यालय,
चर्मगाँव, मुंबई.

सं.ई (आर एण्ड टी) ९०१/भाग II

दि. ०५-०५-२०११

सभी मं.रे.प्र. /मु.का.प्र. और युनिट इनचार्ज ,

प्रति : महामंत्री- वे.रे.ए.यू. प्रांटरोड/वे.रे.म.सं. मुंबई संकल.

प्रति : महामंत्री- ऑल इंडिया अ.जा./अ.ज.जा.रेल कम. एसो. 'बेस्ट' शान,मुंबई.

प्रति : महामंत्री- ऑल इंडिया आ.बी.सी.रेल कम-गरी.एसोसिएशन, मुंबई.

विषय : रेलों पर समूह ग और समूह घ पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा ।

रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक १८.०२.२०११ के पत्र सं.ई(एन जी) II/९४/आर आर.१/२९ (आर बी ई सं.२४/२०११) को प्रतिस्तिपों सूचना, मार्गदर्शन व आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है ।

बोर्ड के उपरोक्त पत्र में उल्लिखित रेलवे बोर्ड के पत्रों को निम्नानुसार परिपत्रित किया गया है ।

क्र.सं.	रेलवे बोर्ड के पत्र सं. तथा दिनांक तथा आर बी ई सं.	इस कार्यालय का पत्र, दिनांक तथा पी.एस.सं. जिससे परिपत्रित किया गया ।
१.	ई (एन जी)-II/९४/RR-१/२९ दिनांक १८.०२.२०११ आर बी ई सं.२४/२०११	ई (आर एण्ड टी) ९०१/० भाग II पी एस सं.३०/२०१० दिनांक २३.०२.२०११

संलग्नक : यथास्त

२४१
(एस कडुमणी)
कृते महाप्रबंधक (स्था)